रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 448] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 1986/आश्विन 3, 1908
No. 448] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 25, 1986/ASVINA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1107(अ) :—लोक ऋण नियम, 1946 के नियम 4 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि लोक

ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खंड (2) के उप-खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए सरकारी प्रतिभूति का प्ररूप निम्नलिखित होगा, अर्थात् :—

"प्ररूप

भारत सरकार

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक —8.25 प्रतिशत विशेष प्रतिभूति संख्या

संख्या दिनांक

भारत के राष्ट्रपति एतद्द्वारा को मांग करने पर

(रुपए मात्र) अदा

करने का वचन देते हैं ।

2. उपर्युक्त राशि पर इस नोट की तारीख से लेकर इस नोट के उन्मोचन की तारीख से ठीक पहले की तारीख तक 8.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा किया जाएगा । ब्याज प्रत्येक वर्ष सितम्बर और मार्च को छमाही रूप से अदा किया जाएगा ।

3. यह नोट अपर-काम्य है ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक

[एफ. 4(31)-डब्ल्यू. एण्ड एम./86]

के. एस. शाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 25th September, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1107(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of rule 4 of the Public Debt Rules, 1946, the Central Government hereby specifies that the following shall be the form of Government security for the purpose of sub-clause (b) of clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), namely :—

"FORM

GOVERNMENT OF INDIA

Industrial Development Bank of India—8.25 per cent Special Security.

No. Date the

The President of India hereby promises to pay to..... on demand the sum of Rs..... (Rupees.....).

2. Interest at the rate of 8.25 per cent per annum would be paid on the aforesaid amount from the date of this Note to the date immediately preceding the date on which the Note is discharged. Interest would be paid half yearly on..... September and..... March each year.

3. This Note is non-negotiable.

By order of the President of India
GOVERNOR

Reserve Bank of India

[File No. F. 4(31)-W&M[86]

K. S. SASTRY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986